

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठारोम अधिकारी - जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 138/2023 राजस्थान वाद

01. कालू सिंह पुत्र श्री केशर सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी-रीछी का बाडिया पटवार हल्का नारेली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के बजाय पुखराज पुत्र कृम सिंह रावत निवासी धरडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. झुंजर सिंह पुत्र श्री केशर सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी-रीछी का बाडिया पटवार हल्का नारेली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मृतक के बजाय भगवती पुत्री झुंजर सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी-रीछी का बाडिया पटवार हल्का नारेली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
03. बालू सिंह पुत्र श्री केशर सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी-रीछी का बाडिया पटवार हल्का नारेली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. भीम सिंह पुत्र श्री केशर सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी-रीछी का बाडिया पटवार हल्का नारेली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

---- वादी

बनाम

01. हुसम सिंह पुत्र श्री नियत सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी-रीछी का बाडिया पटवार हल्का नारेली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. शान्ता पत्नी श्री नियत सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी-रीछी का बाडिया पटवार हल्का नारेली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. नोल सिंह पुत्र श्री नियत सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी-रीछी का बाडिया पटवार हल्का नारेली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. गोगावाई पुत्री श्री नियत सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी-रीछी का बाडिया पटवार हल्का नारेली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

---- प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत विभाजन आराजियात

परिस्थित :-

श्री मुकेश सिंह तंवर,

एकपक्षीय-

-अधिवक्ता वादीगण

प्रतिवादी सं-01 लगायत 05

:: निर्णय ::

दिनांक- 20/01/2025

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद रीछी का बाडिया पटवार हल्का नारेली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के नाम शामिल की जातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामिल होने से मौके पर सद्वै मेड पाली की धारा काटने तथा खेत की हंकाई, चराई आदि में विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड एडी प्रेषित दिनांक 02.01.2024 से विहित समयावधि एक माह व्यतीत होने पर भी प्रतिवादी संख्या-01 लगायत 05 उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादी के अधिवक्ता ने एक तरफा बहस करने का निवेदन किया, बहस सुनी गई। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजाता का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिकी करने का निवेदन किया गया।

197
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

मैने वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएव:

::आदेशः

सरहद रीछी का बाडिया पटवार हल्का नारेली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 180 मे आराजी नम्बर 1534/785 मे वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

(1)खातेदार का नाम-बालु सिंह पुत्र श्री केशर सिंह जाति रावत निवासी-रीछी का बाडिया खातेदार वादी के नाम पर-

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर मे)
1	1534/785/1	0.2049 हैक्टर
योग	कुल किता 01	0.2049 हैक्टर

(2)खातेदार का नाम-भीम सिंह पुत्र श्री केशर सिंह जाति रावत निवासी-रीछी का बाडिया खातेदार वादी के नाम पर-

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर मे)
1	1534/785/4	0.2049 हैक्टर
योग	कुल किता 01	0.2049 हैक्टर

(3)खातेदार का नाम-भगवती पुत्री डुंगर सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी-रीछी का बाडिया

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर मे)
1	1534/785/2	0.2049 हैक्टर
योग	कुल किता 01	0.2049 हैक्टर

(4)खातेदार का नाम-पुखराज सिंह पुत्र श्री कूप सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी-धरडिया

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर मे)
1	1534/785/3	0.2048 हैक्टर
योग	कुल किता 01	0.2048 हैक्टर

(5)खातेदार का नाम- नोल सिंह, हुकुम सिंह पिता नियत सिंह 1/2, गोगाबाई पुत्री नियत सिंह 1/4, शान्ता पत्नी नियत सिंह 1/4, जाति रावत निवासी रीछी का बाडिया

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर मे)
1	1534/785/5	0.2049 हैक्टर
योग	कुल किता 01	0.2049 हैक्टर

विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिकी जारी हो, उक्तानुसार डिकी जारी करें। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करें।

यह निर्णय आज दिनांक 20/01/2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)

उपखण्ड अधिवक्ता एवं प्रदेस सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :-जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 138/2023 राजस्व वाद

01. कालु सिंह पुत्र श्री केशर सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी-रीछी का बाडिया पटवार हल्का नारेली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के बजाय पुखराज पुत्र कुप सिंह रावत निवासी धरडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. डुंगर सिंह पुत्र श्री केशर सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी-रीछी का बाडिया पटवार हल्का नारेली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मृतक के बजाय भगवती पुत्री डुंगर सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी-रीछी का बाडिया पटवार हल्का नारेली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
03. बालु सिंह पुत्र श्री केशर सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी-रीछी का बाडिया पटवार हल्का नारेली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. भीम सिंह पुत्र श्री केशर सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी-रीछी का बाडिया पटवार हल्का नारेली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

— वादी

बनाम


01. हुक्म सिंह पुत्र श्री नियत सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी-रीछी का बाडिया पटवार हल्का नारेली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. शान्ता पत्नी श्री नियत सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी-रीछी का बाडिया पटवार हल्का नारेली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. नोल सिंह पुत्र श्री नियत सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी-रीछी का बाडिया पटवार हल्का नारेली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. गोगावाई पुत्री श्री नियत सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी-रीछी का बाडिया पटवार हल्का नारेली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत विभाजन आराजियात

वादी की ओर से श्री मुकेश सिंह तंवर, एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से अनुपस्थित की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 20/01/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये प्रार्थना होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जायें।

सरहद रीछी का बाडिया पटवार हल्का नारेली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 180 में आराजी नम्बर 1534/785 में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारों के मध्य रिकॉर्ड में अमल दरामद व नक्शों में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-


उपखण्ड अधिकारी करेड़ा
सहायक कलक्टर करेड़ा

1)खातेदार का नाम-बालु सिंह पुत्र श्री केशर सिंह जाति रावत निवासी-रीछी का बाडिया खातेदार वादी के नाम पर-

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर मे)
1	1534 / 785 / 1	0.2049 हैक्टर
योग	कुल किता 01	0.2049 हैक्टर

(2)खातेदार का नाम-भीम सिंह पुत्र श्री केशर सिंह जाति रावत निवासी-रीछी का बाडिया खातेदार वादी के नाम पर-

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर मे)
1	1534 / 785 / 4	0.2049 हैक्टर
योग	कुल किता 01	0.2049 हैक्टर

3)खातेदार का नाम-भगवती पुत्री डुंगर सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी-रीछी का बाडिया

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर मे)
1	1534 / 785 / 2	0.2049 हैक्टर
योग	कुल किता 01	0.2049 हैक्टर

4)खातेदार का नाम-पुखराज सिंह पुत्र श्री कूप सिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी-धरडिया

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर मे)
1	1534 / 785 / 3	0.2048 हैक्टर
योग	कुल किता 01	0.2048 हैक्टर

5)खातेदार का नाम- नोल सिंह, हुकुम सिंह पिता नियत सिंह 1/2, गोगाबाई पुत्री नियत सिंह /4, शान्ता पत्नी नियत सिंह 1/4, जाति रावत निवासी रीछी का बाडिया

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर मे)
1	1534 / 785 / 5	0.2049 हैक्टर
योग	कुल किता 01	0.2049 हैक्टर

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरुस्ती कर राजस्व रेकार्ड मे अलग खाता कायम कर काम प्रतिस्थापित किया जावे।

तहसीलदार करेडा को तहरीर जारी कर आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगे।

(जोगेन्द्र सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)

ग्रह डिक्री आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)